(1)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प (भोपाल)

(13)

20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

राजेन्द्र आत्मज रामभरोस कतिया

निवासी ग्राम छिपाबड़ निगरानी -3680/2018/हरदा/भू.रा.

तहसील खिड़किया जिला-हरदा

अधिवक्ता श्री संदीप दुबे जिला-होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 21/05/2018 A.S.

....निगराकर्ता

विरुद्ध

सावित्रीबाई पुत्री रामलाल कतिया

निवासी ग्राम छिपाबड़

तहसील खिड़किया जिला-हरदा

....उत्तरवादी

निगरानी अतंर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

8/18

आयुक्त कार्या. होशंगाबाद से भोपाल केम्प में प्रस्तुत। 21/8/18

उपरोक्त निगरानी निगरानी कर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार खिड़किया के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ56/14-15 में पारित आदेश दिनांक 26.11.16, अनुविभागीय अधिकारी खिड़किया के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 9अ/56 वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 09.05.17 एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 315/अ/वर्ष 17-18 में पारित आदेश दिनांक 20.03.18 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तत्थों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है:

निगरानी के तत्थ एवं आधार

1. यह कि ग्राम छिपाबड़ तहसील खिड़किया के ग्राम कोटवार रामलाल पिता रतन द्वारा दिनांक 13.12.14 को विचारण न्यायालय तहसीलदार खिड़किया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है। जिससे कारण शासकीय कार्य में असुविधा हो रही है। जिससे वह कोटवारी पद पर कार्य नहीं कर पा रहा है। अतः उसे कोटवारी पद से हटाकर उसकी पुत्री सवित्री को नवीन कोटवार नियुक्त करते हुए उसका इस्तीफा मंजूर किया जावें। आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय तहसीलदार खिड़किया द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ56/14-15 पंजीबद्ध करते हुए उत्तरवादी सावित्रीबाई को अस्थाई कोटवार नियुक्त किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग.–3680 / 2018 / हरदा / भू.रा.

राजेन्द्र विरूद्ध सावित्री बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –10–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक राजेन्द्र आत्मज रामभरोसे के द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 315 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.03.18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश में आवेदक राजेन्द्र (प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता) के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध दिया गया अपील आवेदन निरस्त किया गया है। 2/ निगरानीकर्ता द्वारा अपने निगरानी आवेदन में दोहराया गया है कि वह अनावेदिका सावित्री बाई पुत्री रामलाल से अधिक योग्यता रखता था, लेकिन उसे कोटवार के पद पर नियुक्ति ना दी जाकर सावित्री बाई पुत्री रामलाल कतिया को दी गई है। निगरानी मेमों के साथ आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 20.03.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है। 3/ मेरे द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम, होशंगाबाद के प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन किया गया । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 एवं इसके तहत कोटवारी नियमों में कोटवार की नियुक्ति का प्रावधान है। आयुक्त के आदेश में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनावेदिका सावित्री बाई (जो कि पूर्व कोटवार रामलाल की पुत्री है।) के विरूद्ध कोटवारी नियमों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई विरूद्ध तथ्य नहीं है जिससे कि वह अयोग्य सिद्ध हो सके।	

1/2

16.X.18

4/ अतः उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का आदेश उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निगरानी आवेदन अग्राह्य की जाती है।

5/ प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

16.4.18
(आर.के. जैन)
सदस्य